



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विदेशी मुद्रा विभाग

FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999

(1999 का 42)

FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT, 1999

(42 OF 1999)

संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक का लाइसेंस

Full Fledged Money Changer's Licence

लाइसेंस नं.: मुं - एफएफएमसी - 1293-2023

दिनांक: 06 फरवरी 2025

अवधि समाप्ति की तारीख: 31 जनवरी 2026

Licence No.: **MUM-FFMC-1293-2023**

Date: **February 06, 2025**

Expiry Date: **January 31, 2026**

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 एवं इसके तहत जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, निर्देशों, आदेशों और परिपत्रों द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा पीछे दी गई शर्तों के अधीन और समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 1 जनवरी 2016 के मुद्रा बदलने के कार्य पर एफ.ई.डी मास्टर निर्देश नं. 03/2015-16 द्वारा जारी मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों के संचालन के अनुदेश ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार स्थित कार्यालयों द्वारा मुद्रा परिवर्तन कारोबार करने के लिए

In exercise of the powers conferred by Section 10 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) Rules, Regulations, Notifications, Directions, Orders and Circulars issued thereunder, the Reserve Bank of India is hereby pleased to authorise

**UTEKAR FOREX AND TRAVELS PVT LTD**

**62 SURYA SHOPPING CENTRE SHRISHTI SECTOR 5 MIRA ROAD EAST, THANE, Maharashtra, 401107**

उतेकर फॉरेक्स अँड ट्रेवल्स प्रा. लि.

62 सूर्या शॉपिंग सेंटर श्रीश्री सेक्टर 5 मिरा रोड पूर्व, ठाणे, महाराष्ट्र, 401107

(Name and address of the Company)

to undertake money changing business at the offices, as per Annexure, subject to the conditions as detailed overleaf and in accordance with the provisions of FED Master Direction No. 3/2015-16 on Money Changing Activities dated January 01, 2016 as amended from time to time.

( कंपनी का नाम एवं पता )

को सहर्ष प्राधिकृत करता है।

2. यदि रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि (क) ऐसा करना जनता के हित में है अथवा (ख) सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक उन शर्तों के अनुपालन में असफल रहा हो जिसके अधीन उसे प्राधिकृत किया गया था अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन किया है, तो किसी भी समय लाइसेंस को वापस लिया जा सकता है। किसी भी मासिक अथवा विनियामक प्रावधानों के अतिक्रमण के लिए किसी भी कार्यालय को दिए गए प्राधिकार को वापस लेने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

2. The licence may be revoked at any time if the Reserve Bank is satisfied that (a) it is in public interest to do so or (b) the Full Fledged Money Changer has failed to comply with any condition subject to which the authorisation is granted or has contravened any of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 or any rule, regulation, notification, direction or order made thereunder. The Reserve Bank of India also reserves the right to revoke the authorisation of any of the offices for infringement of any statutory or regulatory provision.

कृते भारतीय रिज़र्व बैंक

**भवानी आर/Bhavani R**

**सहायक महाप्रबंधक /Assistant General Manager**

च. नि. सू. सं./P.F. No. R0338

भवानी आर

For Reserve Bank of India

**भवानी आर/Bhavani R**

**सहायक महाप्रबंधक /Assistant General Manager**

च. नि. सू. सं./P.F. No. R0338

R.B.L

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक /सहायक महाप्रबंधक

General Manager/Deputy General Manager/  
Assistant General Manager

भारतीय रिज़र्व बैंक,  
विदेशी मुद्रा विभाग

**RESERVE BANK OF INDIA,  
FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT,**

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

Mumbai Regional Office

06 फरवरी

, 2025

Dated this day 06 of February, 2025